मांगलोद के खेत खसरा नंबर 493 रकबा 1.01 बीघा, खसरा नंबर 587 रकबा 16.05 बीघा, खसरा नंबर 594 रकबा 5.18 बीघा, खसरा नंबर 701 रकबा 15.06 बीघा, कुल रकबा 38.10 बीघा वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में आधा-आधा घोषित कर दिनांक 15.02.2017 को प्राथमिक डिक्री तथा तहसीलदार जायल को भूमि के विभाजन हेतु बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरीनक्शा तैयार कर मंगवाने हेतु आदेश पारित किये गये थे। जिसकी पालना में दिनांक तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 15.02.2017 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 1971 दिनांक 29.07.2021 प्राप्त हुआ।

प्राथमिक डिक्री प्रस्ताव पर वकुलाय को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान में प्रतिवादी महावीरसिंह,बेबी कवंर,जगदीश ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है इसके अतिरिक्त मौके पर अन्य वादी एवं प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुवे। मौके पर उपस्थित बेबी कंवर, महावीर सिंह, जगदीश सिंह के हस्ताक्षर करवाये गये एवं नजरीनक्शानुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। इसलिये हम वादीगण के वाद को आंशिक स्वीकार कर मौजा मांगलोद के खेत खसरा नंबर 493, 587,594,701 में वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को सहखातेदार घोषित किया जाना तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा मांगलोद के खेत खसरा नंबर 493,587,594,701 में वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त जरिये पत्रांक 1971 दिनांक 29.07.2020 के बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) अनुसार निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 से 4 कमश भंवरसिंह, बजरंगसिंह, सुप्यार कवंर, वस्तुकंवर के सामलाती हक बंट कब्जा काश्त में मौजा मांगलोद के खेत खसरा नंबर 701 में से 7.13 बीघा पूर्वी भाग, खसरा नंबर 594 रकबा 5.18 बीघा सम्पूर्ण, खसरा नंबर 587 रकबा 5.14 बीघा दक्षिणी हिस्सा नजरीनक्शानुसार रखा जाकर सहखातेदार घोषित किया जाता है।
2. मौजा मांगलोद के खेत खसरा नंबर 493 रकबा 1.01 बीघा पूरा, खेत खसरा नंबर 701 में से 7.13 बीघा पश्चिमी भाग, खसरा नंबर 587 रकबा 10.11 बीघा उतरी हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 हड़मानसिंह,महावीरसिंह,बेबी कंवर पत्नी सुजानसिंह 1/3 हिस्सा, जगदीश सिंह पुत्र गणपतसिंह 1/3 हिस्सा, अर्जुनसिंह पुत्र गणपतसिंह 1/3 हिस्सा संयुक्त बंट कब्जा काश्त में नजरीनक्शानुसार रखा जाकर सहखातेदार घोषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01/9/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

01/9/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner